न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

1—अपील संख्या 108/2016

रत्नू पुत्र धनिया निवासी बबोटी फतेहपुर तहसील नूरपुर जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश।

—अपीलांट

बनाम

1. तरसेम लाल
2. जीवन लाल
3. अश्वनी कुमार
4. कुशलता

पिसरान हुक्मा निवासी वासा रगरोटा सूर्या जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश।

5. रचना देवी पत्नी हुक्मा निवासी वासा रगरोटा सूर्या जिला कंगडा हिमाचल प्रदेश।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ। —रेस्पोडैंटस

2—अपील संख्या 109/2016

रत्नू पुत्र धनिया निवासी बबोटी फतेहपुर तहसील नुरपुर जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश।

—अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ। —रेस्पोंडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू—राजस्व अधिनियम 1956
अपील सं. 108/2016 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ दिनांक 29.02.2016
अपील सं. 109/2016 विरूद्ध आदेश उपायुक्त उपनिवेशन (पूनर्वास) बीकानेर दिनांक 08.02.1974

उपस्थिति—

श्री भगवानदत्त शर्मा, अभिभाषक अपीलांट

श्री लेखराज देरासरी अभिभाषक रेस्पों. सं. 3 अपील सं. 108/2016

श्री श्यामसुन्दर चाण्डक, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक— 28-6-19

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने अपील सं. 108/2016 उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के आदेश 29.02.2016 के विरूद्ध पेश की है। अपीलाधीन आदेश के द्वारा उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

तरसेमलाल आदि को पोंग बांध आरक्षित विवाद रहित (1188 को छोडकर) रकबा राज की सूची में से जरिये लोटरी चक 7 एफ.डी.एम. के मु.नं. 104/342 के कि.नं. 1/1, 2, 3, 4, 7 मा 9, 10/1, 11/1, 12 ता 14, 17 मा 19, 20/1 , 21/1 , 22 ता 23, 24 की कुल 4.744है0क0 मय खाला तथा चक 7 एन.आर.डी. मु.नं. 93/321 कि.नं. 14, 17 ता 19, 22/1, 23/2 की कुल 1.468है0क0 कुल रकबा 6.212 है0क0 को इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में पोंग बान्ध विस्थापित आवंटन नियम 1972 के नियम 5(6) के अन्तर्गत वर्तमान आरक्षित दर पर भूमि आवंटन करने के आदेश दिये हैं।

(A) अपीलांट द्वारा अपील सं. 109/2016 उपायुक्त उपनिवेशन (पूनर्वास) बीकानेर के आदेश दिनांक 08.02.74 के विरूद्ध पेश की है। उक्त आदेश के द्वारा अधी.न्यायालय ने अपीलांट को दिनांक 26.06.73 को आवंटित 22.05 बीघा रकबा की किश्तों की राशि जमा नहीं करवाने एवं कब्जा आराजी का प्राप्त नहीं करने के कारण आवंटन खारिज किया गया है।

(B) अपीलांट ने अपील सं. 108/2016 के साथ प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी मय शपथ पत्र तथा दफा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अपीलांट ने अपील सं. 109/2016 के साथ दफा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

(i) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील सं. 109/2016 की बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश को प्रार्थी को बिना नोटिस दिये, बिना सुने एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अपीलांट पोंग बांध बनने के कारण उजड चुका था उसको रकम व भूमि के बारे में बताया नही गया। अपीलांट को आवंटित भूमि के बारे में आवंटन नियमों में संशोधन होने पर संशोधन कर व अन्यत्र आवंटन न होने पर शास्ति सहित किश्त जमा करवाकर आवंटन बहाली के प्रावधान है। मामला 7ए पोंग बांध विस्थापित आवंटन नियम 1972 में सुना जाने योग्य है। अपील देरी से पेश करने बाबत दफा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है जिसमें अपील देरी

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

से पेश करने बाबत समुचित कारण दिये गये हैं। अतः निवेदन है कि उपायुक्त उपनिवेशन (पुनर्वास) बीकानेर के आदेश दिनांक 08.02.74 को निरस्त कर बकाया राशि नियम 7ए में मय ब्याज जमा कराने के आदेश कर रकबा बहाल किये जाने के आदेश फरमावे।

(ii) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील सं. 108/2016 में बहस कर कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा पीठ पीछे व बिना पूर्व नोटिस दिये पारित किया गया है। अपीलांट को चक 6 एफडीएम में जो भूमि दिनांक 26.06.73 को आवंटन की गई थी वह भूमि अब चक 7 एफडीएम में आ चुकी है। अपीलाधीन आदेश से अपीलांट को आवंटित भूमि अपीलांट को बिना सूचना दिये रेस्पों. सं. 1 से 5 को आवंटन कर दी। आवंटन मानवीय आधार पर बहाली योग्य है। रेस्पों. के पक्ष मे किया गया आवंटन पश्चातवर्ती होने के कारण निरस्ती योग्य है। अपीलांट ने अपील के साथ प्रा.पत्र 96 सीपीसी मय शपथ पत्र पेश किया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने का 96 सीपीसी का प्रा.पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि मियाद हेतु अपीलांट ने अपील के साथ प्रा.पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पेश किया जिसमें देरी बाबत समुचित कारण अंकित है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दफा 5 का प्रा.पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। इसके साथ विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने यह निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.02.16 इस हद तक निरस्त फरमाया जावे कि रेस्पों. को चक 7 एफडीएम का प.नं. 104/342 का 4.744है0 भूमि आवंटन की गई है वह निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:– (1) आर.बी.जे.(8)2001 पेज 133
(2)आर.एल.डब्ल्यू.2010(1)आर.जे. पेज 174

(iii) विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त दोनों अपीलों में अधी. न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किया है

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अपीलांट द्वारा दोनों अपीलें काफी विलम्ब से पेश की है। अतः उक्त दोनों अपील मियाद बाहर होने से खारिज योग्य हैं। अतः निवेदन है कि अपीलांट की दोनों अपीलें खारिज की जावे।

(iv) विद्वान अभिभाषक रेस्पों.सं. 3 ने अपील सं. 108/2016 में अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अधी. न्यायालय द्वारा रेस्पों. को रकबा राज भूमि का ही आवंटन किया गया है। इसके अलावा अपीलांट द्वारा यह अपील मियाद बाहर पेश की है। विद्वान अभिभाषक रेस्पों. सं. 3 ने निवेदन किया कि अपील मियाद बाहर होने से अपीलांट अपीलांट खारिज की जावे।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

(a) यह अपीलें नियम 10 भूमि आवंटन व विक्रय नियम पोंग डैम विस्थापित नियम 1972 के तहत की गई है जिसमें अपीलांट द्वारा दिनांक 08.02.74 को तत्समय उपायुक्त उपनिवेशन के आदेश को दिनांक 11.05.2016 को आवंटन निरस्ती के आदेश को चुनौती देने के साथ ही दिनांक 29.02.16 को वही खारिज रकबा अन्य पोंग डैम विस्थापित तरसेमलाल को अधी. न्यायालय द्वारा किया गया, की भी अन्य अपील साथ में पेश की है।

(b) चूंकि दोनों अपीलों में तथ्य समान है तथा दिनांक 08.02.74 के उपायुक्त उपनिवेशन के अपीलांट की भूमि निरस्ती के आदेश तथा दिनांक 29.02.2016 के उपखण्ड अधिकारी द्वारा तरसेमलाल को उक्त निरस्त भूमि आवंटन के खिलाफ की गई है। अतः दोनों पत्रावलियों की बहस एक साथ सुनी गई तथा निर्णय भी एक साथ किया गया।

(c) पत्रावली से स्पष्ट है कि प्रार्थी को आवंटन वर्ष 1973 में हुआ तथा वर्ष 1974 में उपायुक्त के आदेश दिनांक 08.02.74 को कब्जा नहीं लेने व रकम जमा नहीं कराने के कारण आवंटन खारिज हुआ। दूसरी तरफ वकील अपीलांट का कथन है कि पोंग बांध विस्थापितों को आवंटन पर राज्य सरकार के नियमानुसार सडक, पानी , बिजली, स्कूले होनी चाहिए थी जो नहीं होने के कारण व रकबा बंजर होने के कारण कब्जा नहीं लिया। दूसरी तरफ स्वयं यह कथन करते हैं कि फिर भी बाद में कब्जा ले लिया था। परन्तु किश्तें

राजस्व अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

जमा बाबत कुछ स्पष्ट नहीं किया व साथ ही तर्क किया कि उन्हें नोटिस नहीं दिया गया। इसप्रकार उक्त सभी कथन विरोधाभाषी है जो असम्बद्ध व परस्पर विपरीत है। अतः विश्वास योग्य नही है।

(d) मामलें की पत्रावली के अवलोकन व बहस से यह प्रकट है कि अपीलांट को वर्ष 1973 में आवंटन हुआ तत्पश्चात वर्ष 1974 दिनांक 08.02.74 को लगभग 1 वर्ष पश्चात आवंटन नियम 5(7) के तहत आवंटन स्वतः निरस्त हुआ। इस बीच 1 वर्ष के दौरान प्रार्थी द्वारा क्या प्रयास किये? यह नहीं बताया। किन्तु निर्णय की बिन्दु सं. 3 में वर्णित विरोधाभाषी तर्क दिये जो स्पष्ट है।

(e) अपीलांट ने वर्ष 08.02.1974 के आदेश को दिनांक 11.06.2016 को लगभग 42 वर्ष बीतने के पश्चात जब उक्त खारिज रकबा अन्य पोंग बांध विस्थापित तरसेमलाल को दिनांक 29.02.2016 को हो गया। उसके भी लगभग 4 माह बाद मियाद बाहर ही नहीं अत्याधिक व असंगत 42 वर्ष बीतने के बाद मूल आवंटन आदेश की निरस्ती आदेश व तरसेमलाल को अधी. न्यायालय द्वारा आवंटन दिनांक 29.02.16 को चुनौती दी तथा मियाद में छूट यह कहते हुए मांगी कि उक्त आदेश **abinitio voide** है तथा आर.बी.जे. 2001 पेज 133 तथा आर.एल.डब्ल्यू 2010(1) आर.जे. पेज 174 की नजीरें पेश करते हुए मियाद में छूट चाही। यह गौरतलब है कि अपीलांट ने इस न्यायालय से एकतरफा स्थगन आदेश भी प्राप्त कर लिया।

उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि तत्समय उपायुक्त उपनिवेशन का आदेश अवैध या **abinitio** नहीं कहा जा सकता जैसाकि पत्रावली व बहस से स्पष्ट है। क्योंकि अपीलांट के स्वयं के कथन व आचरण अस्पष्ट व विरोधाभाषी है।

(f) जहां आवंटी स्वयं स्वीकार करता है कि आवंटन हुआ किन्तु कब्जा नहीं लिया या राशि जमा नही कराई। उसका आवंटन निश्चित विहित अवधि बाद स्वतः निरस्त हो गया (**deemed cancelled**), तत्पश्चात भी 42 वर्ष बाद जब उक्त रकबा किसी अन्य उसी श्रेणी के आवंटी को आवंटन कर दिया गया हो तो अयुक्तियुक्त समय के बीतने के पश्चात दो अपीलें क्रमशः 1974 में स्वयं के आवंटन के निरस्त होने तथा 2016 में किसी अन्य को वही रकबा आवंटन होने के खिलाफ यह कह कर पेश करता है कि उसे बिना सूचना के उसका आवंटन सन् 1974 में निरस्त कर दिया, जिसे बहाल किया जावे तथा 2016 में तरसेमलाल अन्य उसी श्रेणी के आवंटी को उसको आवंटित भूमि गलत रूप से आवंटन कर दी उसे निरस्त कर उसका स्वयं का सन् 1974 में खारिज बहाल किया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलांट की यह कहानी अविश्वसनीय व हास्यापद प्रतीत होती है जो युक्तियुक्त रूप से उसके सोये रहने का सबूत है और न्याय प्राप्त करने की मंशा के बजाय क्षुब्ध भरी अधिक प्रतीत होती है। उसके तर्कों से यह नहीं कहा जा सकता कि उसको सूचना नहीं थी या उसकी पीठ पीछे उसका आवंटन निरस्त कर अन्य व्यक्ति को आवंटित कर दिया।

(g) अतः यह अपील रत्नु बनाम सरकार अन्तर्गत मियाद नहीं कही जा सकती, ना ही उपायुक्त उपनिवेशन का आदेश अवैध या **abinitio voide** है। अपीलांट द्वारा पूर्व में तो वर्ष 1973 से 1974 के बीच आवंटन से निरस्ती के दरम्यान 1 वर्ष के विलम्ब का औचित्य देना चाहिए। तत्पश्चात वर्ष 1974 से 2016 के बीच गुजरे अत्याधिक वर्ष 42 वर्ष का भी कारण देना चाहिए। दोनों ही मामलों में अपीलांट असफल रहा है। लिहाजा यह अपील मियाद के बिन्दु पर ही असफल घोषित की जानी उचित है।

(h) अन्य अपील जोकि इसी मामलें से सम्बद्ध है, में अपीलांट का 43 वर्ष पूर्व पोंग बांध विस्थापित की हैसियत से आवंटित तथा 42 वर्ष पूर्व खारिज रकबा पुनः दूसरे अन्य पोंग बांध विस्थापित को दिनांक 29.02.2016 को आवंटन किया गया है को अपीलांट ने अकारण , निराधार व अनोचित्यपूर्ण रूप से चुनौती दी है। यह पत्रावली के अवलोकन व अपीलार्थी के आचरण से स्पष्ट है।

पैरोकार राज ने बहस में अवगत कराया कि अपीलांट गलत रूप से अपील में आया है तथा ऐसा आवंटन पुनः बहाल उसी दशा में हो सकता है, जब प्रकरण में राज्य सरकार के संज्ञान में लाया जावे व प्रार्थी स्वयं यह सिद्ध करें कि वह क्षुब्ध पक्षकार है व आवंटन से वंचित है। तत्पश्चात ही या विधिवत रूप से 1974 के आदेश को व तत्पश्चात 2016 के उपखण्ड अधिकारी के आदेश को निरस्त करावें। क्योंकि 1992 के पूर्व खारिज पोंग बांध विस्थापित के रकबे इसी प्रकार बहाल हो सकेगें बशर्ते प्रार्थी का स्वयं का आचरण सदभाविक हो।

(i) चूंकि प्रार्थी स्वयं यह सिद्ध करने में असफल रहा कि उसका आचरण सदभाविक है तथा अत्याधिक, अयुक्तियुक्त और असामान्य विलम्ब का औचित्य सिद्ध नहीं कर सका। अतः वह इसके परिणाम भुगतने का उत्तरदायित्व वहन करेगा। हम इस तर्क से सहमत है और यह पाते है कि अपीलांट स्वयं के अनौचित्यपूर्ण आचरण व असामान्य विलम्ब के कारण अपना हक खो चुका है फिर भी अनावश्यक व क्षुब्धकारी आचरण से अन्य पोंग बांध विस्थापित

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

तरसेमलाल के आवंटन को 42 वर्ष बाद चुनौती दे कर मामले में स्थगन भी प्राप्त कर लिया जो घोर असद्भाविक कृत्य है।

(j) लिहाजा उक्त दोनों अपीलें निरस्त की जाती है तथा उपायुक्त उपनिवेशन के आदेश दिनांक 08.02.74 तथा उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के पॉग डैम आवंटी तरसेमलाल को आवंटन आदेश दिनांक 29.02.2016 को सही ठहराना उचित पाते हैं। उक्त दोनों अपीलें निरस्त की जाती है तथा अपीलांट के आधारहीन व असामान्य रूप से विलम्ब से अपीलें एकतरफा रूप से स्थगन प्राप्त कर तरसेमलाल के आवंटन को अनावश्यक रूप से खारिज कराने के प्रयास को क्षुब्धकारी मानते हुए हर्जाने के रूप में रूपये 10000/– तरसेमलाल को क्षतिपूर्ती के रूप में दिलानें का आदेश प्रदान किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 28/6/19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर